न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 210/18

वादी
1–आशाराम पुत्र जयराम जाति जाट
2–बुधाराम पुत्र जयराम जाति जाट
निवासीगण चावण्डिया कलां तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1–भैराराम पुत्र जयराम जाति जाट
2–रामनिवास पुत्र जयराम जाति जाट
निवासीगण चावण्डिया कलां तहसील रियांबड़ी
3–तहसीलदार रियांबड़ी

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट 1955</u>

निर्णय

दिनांक :– 08.06.2018

वादीगण निम्नलिखित वाद पेश करता है :–
1–यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दु है और हिन्दु मिताक्षरा कानून से गर्वन होते है। तथा सगे भाई है।
2–यह है कि ग्राम जड़ाउकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नबर 10 रकबा 1.50 हैक्टश्र
व खसरा नंबर 11 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 3.00 हैक्टर की भूमि वादीगण व
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक,संयुक्त काश्त व कब्जासुदा है। उक्त खसरान की भूमि
वाद में आगे वादग्रस्त खसरान से सम्बोधित किया गया है। जमाबंदी संवत् 2072 से 2075
की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त
परिवार की आय ससे खरीदसुदा भूमि है। जिसकी खातेदारी आपसी प्रेमवश प्रतिवादीगण
संख्या 1 व 2 के नाम करवाई गई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि संयुक्त परिवार की
आय से खरीदसुदा है।
4–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
ने आज से करीब 5 वर्ष पूर्व कर लिया बंटवारा का विवरण निम्न प्रकार से हैः–
वादी संख्या 1 आशाराम के बंट में :–
मौजा जड़ाउकला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 11 रकबा 1.50 हैक्टश्र।
वादी संख्या 2 बुधाराम के बंट में :–
मौजा जड़ाउकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.50 हैक्टर।
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बंट में अन्य खसरान की जमीन बंट में रखी गई
है,जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण के बंट में रखी गई है।
5–यह है कि पक्षकारान बंटवारा के दिन से उपर बताये अनुसार अलग–अलग काश्त व
काबिज है। तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर वादग्रस्त खसरान की भूमि
का बंटवारा अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे वादीगण यह वाद बाबत
खातेदारी घोषणा व बंटवारा का पेश कर रहे है।

Scanned by CamScanner

6–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि की खातेदारी माफिक बंटवारा के दर्ज नहीं है इसलिए वादीगण को वादग्रस्त खसरान की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने में समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादीगण वादग्रस्त खसरान की खातेदारी अलग से घोषित करवाने का अधिकारी है।

7–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकार्ड में खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है और प्रतिवादीगण खातेदारी की आड़ में वादीगण के काश्त व कब्जा में दखलदांजी करने व बेचान करने पर उतारू है। जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

8–यह है कि इश्तदुआ वादीगण यह है कि दावा वादीगण की डिकी बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार फरमायी जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाबदेही हेतू तलब किया गया।

वादीगण मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर जसनगर में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक है और संयुक्त आय से खरीदसुदा है। आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। वादीगण की इश्तदुआ अनुसार वाद को स्वीकार किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। मगर कब्जा काश्त वादीगण का है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के नाम खातेदारी करवाने चाहते है इसलिए अपनी सहमति दी है। भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा है। प्रेमवंश खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम करवाई गई। अब अन्य भूमि बंट में आने से वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम करवाना चाहते है।

अतः वादीगण का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है। तथा वादीगण के नाम निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाकर बंटवारा किया जाता है।

1–वादी संख्या 1 आशाराम के बंट में :–

मौजा जड़ाउकला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 11 रकबा 1.50 हैक्टर बंट में रखा जाता है।

2–वादी संख्या 2 बुधाराम के बंट में :–

मौजा जड़ाउकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.50 हैक्टर बंट में रखा जाता है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वादीगण का सेपरेट पजेशन कायम किया जावें। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

निर्णय दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

Scanned by CamScanner